**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 273/2025

IN THE MATTER OF:
THE CITIZENS FOUNDATION .....**APPLICANT**

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & OTHERS .....**RESPONDENTS**

INDEX **N.D.O.H.: 26.09.2025**

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.	
2.	**ANNEXURE-1** True copy of the inspection of the said unit.	
3.	**ANNEXURE-2** copy of the inspection report.	
4.	**Annexure-A** True copy of inspection report	

NEW DELHI
DATED: 25.09.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 273/2025

IN THE MATTER OF:

THE CITIZENS FOUNDATION .....**APPLICANT**

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & OTHERS ......**RESPONDENTS**

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT-3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Reetesh Kumar Tewari, aged about 50 years, S/o Sri Sri J. N. Tewari, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Noida, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent, in the above noted capacity and as a Nodal Plastic Waste Management, am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That by mean of this present Original Application the applicant has made a prayer for strict enforcement of the Plastic Waste Management Rules, 2016 qua manufacturers of gutkha, pan masala and tobacco

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

products.

3. That the Applicant has filed the above noted Original Application wherein following prayers have been made:

"1. Direct Respondent No. 1 and 2 to initiate prosecution and levy penalties against M/s Pan Bahar Products Pvt. Ltd. And other defaulting manufacturers, under the PMW Rules, 2016 and Environment (Protection) Act, 1986.

2. Direct CPCB to compile and publish a comprehensive list of violators of Rules 4(f) and 4(i) along with action taken, environmental compensation imposed, and compliance status, on its official website.

3. Appoint or direct formation of a dedicated task force within CPCB for continuous monitoring of plastic packaging used by gutkha, pan masala, and tobacco manufacturers across India.

4. Direct all respondents to file compliance affidavit detailing measures adopted to enforce the PMW Rules, particularly with respect to prohibited packaging.

5. Direct CPCB and all State Pollution Control Boards, including DPCC and UPPCB, to conduct surprise inspections, engaging third-party audits, and file status reports before this Hon'ble Tribunal.

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

6. *Pass such other or further orders as may be deemed fit and proper in the interest of environmental justice, public health, and sustainable development."*

4. That upon considering the present Original Application this Hon'ble Tribunal vide its order dated 30.05.2025 has directed the Respondent to file their replies. In compliance to the said direction the reply of the UPPCB is hereinunder.

5. That Respondent No. 6 M/s Trimurti Fragrances Pvt. Ltd. (Shikhar Pan Masala), 133/231-A, T.P. Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh was visited by the Regional Office of U.P. Pollution Control Board, Kanpur Nagar on 04.09.2025. The Central Pollution Control Board vide letter dated 22.10.2021 has issued closure order against the said unit and vide letter dated 22.12.2022, the closure order was withdrawn with the condition to deposit Rs. 170 lakhs as Environmental Compensation. The Unit has deposited Rs. 170 lakhs in the account of Central Pollution Control Board on 28.11.2022. The U.P. Pollution Control Board vide letter dated 01.04.2022 has issued directions under Section 5 of Environmental (Protection) Act, to the said unit which was withdrawn subsequently vide letter dated 05.01.2023. At present at the said place M/s. Trimurti Freshner and Flavours Unit is operating to which consent

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

to operate has been issued by the U.P. Pollution Control Board with validation up to 31.03.2028 under Air and Water Act.

6. That regarding Respondent No. 10, M/s. J. B. Industries (Vimal Pan Masala), Plot No. 64, Ecotech-1, Greater Noida, G.D. Nagar, U.P., it is submitted that the said unit was inspected by the Officers of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Greater NOIDA on 19.09.2025. At the time of inspection unit was not in operation. The unit has installed STP for treatment of Domestic Effluent and has installed a DG Set of 2000 KVA for backup in case of disturbance in power supply. As per the records the unit has not obtained consent to operate or consent to establish from the U.P. Pollution Control Board. The unit is under green category; hence a notice has been issued to the said unit to obtain the consent under Air and Water Act. A true copy of the inspection of the said unit is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

7. That besides this, as per list at Pages 21 to 23 there are 11 more Gutkha/Pan Masala manufacturing units situated in the State of U.P. The Status of those Units is as follows:

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

1. M/s. Maa Vindhyavasini Tobacco Pvt. Ltd. 133/173, Transport Nagar, Kanpur U.P. 208023 at Serial No. 2.

The Central Pollution Control Board vide order dated 22.10.2021 has issued closure order against this unit. Subsequently vide letter dated 23.12.2022 Unit was directed to deposit the amount of Rs. 14 lakhs as Environmental Compensation and vide letter dated 10.04.2023 unit was directed to deposit further Environmental Compensation of Rs. 32.54 lakhs. With these conditions closure order was withdrawn.

The unit has deposited Rs. 14 lakhs and Rs. 32.54 lakhs in the account of Central Pollution Control Board on 23.12.2022 and 10.04.2023. The closure directions issued by the U.P. Pollution Control Board vide letter dated 01.04.2022 under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 was conditionally withdrawn on 26.07.2023. consent has been granted to this unit, which is valid up to 31.07.2029. Unit is in operation.

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

2. M/s. Vishnu Tobacco Plot Nos. 24 and 25A, Udyog Kendra 2, Ecotech III, Greater Noida, Uttar Pradesh 201306.

Unit Inspected (current address):
M/s. Raj Tobacco Works, Udyog Kendra 2, Plot No. 19, Ecotech-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P. 201308 at Serial No. 3

The inspection of the premises of the said unit has been done by the officers of U.P. Pollution Control Board on 06.09.2025 at all the three sites and it has been found that on all the three sites, no Guthka/Pan Masala unit is in operation.

On Plot No. 19, Udyog Kendra 2, Ecotech-3, Grater Noida, M/s. D Pipes Pvt. Ltd. unit is in operation which uses the said plot as warehouse for storage of M.S. Pipes and Fittings.

On Plot No. 24, Udyog Kendra-2, Ecotech -3, Grater Noida, M/s. S.T.S. Utility Services is in operation which does assembly of electrical component.

On Plot No. 25A, Udyog Kendra-2, Ecotech-3, Greater NOIDA, M/s. Kosmatic Lane Pvt. Ltd. is

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

in operation which manufactures cosmetic products.

A true copy of the inspection report is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

3. Pan Parag India Ltd. (Kothari Products), Factory Nos. 6 & 7 Industrial Estate Fazalganj, Kapil Road, Kanpur at Serial No. 4.

   Central Pollution Control Board vide letter dated 22.10.2021 has issued closure order against this unit which was withdrawn on 20.06.2023 with the condition to deposit Rs. 39.9 lakhs as Environmental Compensation. The unit vide letter dated 12.12.2022 has informed that due to unavoidable circumstances it has been closed and it will not operate in future. At present at that place a unit with the name of M/s. Aadhvik Pan Flavours Pvt. Ltd. has been established to which the conditional consent has been issued by the State Board, which was valid up to 31.07.2024. At present the said unit is closed.

4. Kai Pal Pouches Pvt. Ltd., B1/1 Amuasi, Industrial Area, Nadarganj, Lucknow U.P. 226008 at Serial No. 5.

NOTARY
N.C. Sharma
G.B. Nagar
Reg. No. 1218
GOVT. OF INDIA

On 13.04.2022 consent of this unit was revoked and directions have been issued under Section 5 of Environment (Protections) Act. Subsequently, the said directions were revoked conditionally on 29.08.2023. Consent has been granted to this unit on 02.08.2024 which is valid up to 31.07.2027.

5. M/s. Kay Flavours Pvt. Ltd. (Kamlapasand), B-2, Amausi Industrial Area, Naderganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226008 at Serial No. 6.

   On 25.03.2022 consent of this unit was revoked and directions have been issued under Section 5 of Environment (Protections) Act. Subsequently, the said directions were revoked conditionally on 09.08.2023. Consent has been granted to this unit on 31.07.2024 which is valid up to 31.07.2025. The unit vide letter dated 02.04.2025 has informed that the unit due to its own reasons has closed the productions w.e.f. 25.03.2025.

6. M/s. Trimurti Frangrances Pvt. Ltd., 133/233, 234 & 235, Transport Nagar, Kanpur, U.P. 208023 at Serial No. 8.

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

Central Pollution Control Board vide order dated 22.10.2021 has issued closure order against this Unit which was subsequently withdrawn on 12.12.2022 with the condition to deposit Rs. 21.8 lakhs as Environmental Compensation. The unit on 28.11.2022 has deposited the Environmental Compensation of Rs. 21.80 lakhs in the account of Central Pollution Control Board. The U.P. Pollution Control Board on 01.04.2022 has issued directions against this unit under Section 5 of Environmental (Protection) Act which was subsequently withdrawn vide order dated 05.01.2023. At present at this place unit in the name of M/s. Trimurti Freshners and Flavours is in operation to which consent has been granted, which is valid up to 31.03.2028.

7. AMP Pan Products Pvt. Ltd. 1679/80, Jabrauli, Mahanlalganj, Lucknow U.P. 221716 at Serial No. 9.

On 18.04.2022 consent of this unit was revoked and directions have been issued under Section 5 of Environment (Protections) Act. Subsequently, the said directions were revoked conditionally on 29.11.2022. Consent has been granted to this

NOTARY
N.C. Sharma
G.B. Nagar
Reg. No. 1218
GOVT. OF INDIA

unit on 15.12.2022 which is valid up to 31.07.2026.

8. M/s. Simla Deluxe Pan Flavour, Nivas Khera Aishbagh, Lucknow 226004, Uttar Pradesh at Serial No. 10.

   On 13.04.2022 consent of this unit was revoked and directions have been issued under Section 5 of Environment (Protections) Act which is in operation. The unit vide letter dated 07.05.2022 has informed that unit is closed permanently.

9. P.K. Pan Products, Unit 02, Bhoomi No. 304, Gram Nagheta, Bahar Nagar, Palikam, Hardoi, U.P. 241001 at Serial No. 13.

   The inspection of this unit was done by the officers of U.P. Pollution Control Board, Regional Office, Unnao on 22.09.2025 when it has been found that unit is closed and there is no plant and machinery at the site. True copy of inspection report is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.

10. K.G. Pan Products Pvt. Ltd., AL-11, Sec-13, GIDA, Sahjanwa, Gorakhpur 273209 at Serial No. 14.

    The Regional Office, Gorakhpur has informed that this unit is closed due to its own reasons.

11. WAST Industries, GIDA, Sahjanwa, Gorakhpur 273209 at Serial No. 15.

    The Regional Office, Gorakhpur has informed that this unit is closed due to its own reasons.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 25th DAY OF SEPTEMBER, 2025 AT NOIDA..........

NOTARY N.C. Sharma G.B. Nagar Reg. No. 1218 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

Naveen Chandra Sharma
Advocate Notary
Dadri Noida (G.B Nagar)
25 SEP 2025

DEPONENT

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120–232102

सन्दर्भ संख्या : 763/ क्षे0-06/2025 दिनांक : 19/09/25

सेवा में,

पंजीकृत/नोटिस

M/s JB Industries,
Plot No. 64, Ecotech-1, Extn.-1,
Greater Noida, G.B. Nagar.

विषयः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के सम्वन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें। तत्क्रम में आप अवगत है कि आपकी इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.09.2025 को किया गया। उद्योग द्वारा कच्चे मॉल के रूप में Supari, Kattha, Chuna, Spices, Menthol, Natural & Artificial Colour agent etc. का प्रयोग कर सुपारी कटिंग, मिक्सिंग के उपरान्त पान मसाला (विमल) का उत्पादन कर एल्यूमिनियम कोटेड पेपर पॉउच में पैकिंग की जाती है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग का संचालन स्वंय के कारणों से बन्द है। निरीक्षण के दौरान उद्योग में विद्युत बाधित होने की दशा में पॉवर बैकअप हेतु 2000 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया, डी0जी0 सेट से सम्बद्ध चिमनी ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मीटर स्थापित है। जैसा कि आप विदित हैं कि किसी भी उद्योग/प्लान्ट की स्थापना से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना तथा संचालन से पूर्व संदर्भित अधिनियमान्तर्गत नियमानुसार संयुक्त सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति जल/वायु प्राप्त नही की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर वांछित सूचनाओं, अभिलेखो व निर्धारित सहमति शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया (https://niveshmitra.up.nic.in) के माध्यम से संयुक्त सहमति जल/वायु आवेदन कर राज्य बोर्ड से संदर्भित अधिनियमान्तर्गत सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरूद्ध संदर्भित अधिनियमों में वर्णित प्राख्यापित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग के उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

G:\EE Report Sir\Notice\General Notice for CTO.docx

M/s JB Industries, Plot No. 64, Ecotech-1, Extn-1, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar की निरीक्षण आख्या।

कृपया बोर्ड मुख्यालय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देशो के अनुक्रम में उक्त उद्योग का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 19.09.2025 को उद्योग प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित नही पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. उक्त उद्योग द्वारा कच्चे मॉल के रूप में Supari, Kattha, Chuna, Spices, Menthol, Natural & Artificial Colour agent etc. का प्रयोग कर सुपारी कटिंग, मिक्सिंग के उपरान्त पान मसाला (विमल) का उत्पादन कर एल्यूमिनियम कोटेड पेपर पॉउच में पैकिंग की जाती है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन मे किया जाता है। उद्योग से जनित घरेलू उत्प्रवाह को एस0टी0पी0 के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।
3. निरीक्षण के दौरान उद्योग में विद्युत बाधित होने की दशा में पॉवर बैकअप हेतु 2000 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया, डी0जी0 सेट से सम्बद्ध चिमनी ऊंचाई भूतल से लगभग 30 मीटर स्थापित है।
4. उद्योग में सुपारी कटिंग के पश्चात स्क्रीनिंग, पैकिंग प्रक्रिया से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु डस्ट कलक्टर स्थापित है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति जल/वायु प्राप्त नही की गयी है।
6. उद्योग की प्रकृति के अनुसार उद्योग हरी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है।
7. निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है-

उपरोक्त के दृष्टिगत उद्योग को संचालनार्थ सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Vivek 19/9/25
(विवेक कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियंता

19/9/25
(रणजीत सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

80

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या 694 / NGT-89/25 दिनांक : 6/9/25

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (डब्ल्यूएमडी),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 273/2025 The Citizen Vs. Central Pollution Control Board & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच32382/ओ0ए0–273/डब्ल्यूएमडी 45/2025 दिनांक 04.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2021 द्वारा गुटखा/पान मसाला उत्पादकों हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत निर्देश के क्रम में आख्या चाही गयी है। बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत 01 उद्योग M/s Vishnu Tobacco Plot No. 24 and 25A, Udyog Kendra 2, Ecotech-III, Greater Noida, Uttar Pradesh (Unit inspected (current address): M/s. Raj Tobacco Works Udyog Kendra 2, Plot No. 19, Ecotech-3, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, UP- 201308) का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 06.09.2025 को किया गया। प्रश्नगत तीनों स्थलों पर गुटखा/पान मसाला उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग स्थापित नहीं है।

पत्र के साथ निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
1 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 273/2025 The Citizen Vs. Central Pollution Control Board & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 के अनुपालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2021 में उल्लिखित उद्योग स्थल की निरीक्षण आख्या।

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच32382/ओ0ए0–273/डब्ल्यूएमडी–45/2025 दिनांक 04.09.2025 के साथ संलग्न केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.2021 द्वारा गुटखा/पान मसाला उत्पादकों हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत 01 उद्योग M/s Vishnu Tobacco Plot No. 24 and 25A, Udyog Kendra 2. Ecotech-III. Greater Noida, Uttar Pradesh (Unit inspected (current address): M/s. Raj Tobacco Works Udyog Kendra 2. Plot No. 19. Ecotech-3. Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, UP- 201308) का स्थलीय निरीक्षण निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.09.2025 को किया गया। प्रश्नगत तीनों स्थलों पर गुटखा/पान मसाला उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग स्थापित नहीं है। आख्या निम्नवत् है–

<u>प्लॉट सं0 19, उद्योग केन्द्र–2, इकोटेक–3, ग्रेटर नोएडा।</u>

उक्त स्थल पर मेसर्स डी पाइप्स प्रा0लि0 नामक उद्योग संचालित पाया गया, जिसके द्वारा उक्त प्लॉट का उपयोग एमएस पाइप एवं फिटिंग्स को भण्डारित करने हेतु वेयरहाउस के रूप में किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर एक गार्ड के अतिरिक्त कोई अधिकृत उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैं–

<u>प्लॉट सं0 24, उद्योग केन्द्र–2, इकोटेक–3, ग्रेटर नोएडा।</u>

उक्त स्थल पर मेसर्स एसटीएस यूनिलिटी सर्विसेज नामक उद्योग संचालित पाया गया, जिसके द्वारा कच्चे माल के रूप में एमएस बॉडी, इलेक्ट्रीकल कम्पोनेन्ट्स का प्रयोग कर असेम्बलिंग प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रीकल ट्रांसफार्मा का उत्पादन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान श्री जबर सिंह (प्लान्ट मैनेजर, मो0नं0 9718366122) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैं–

P.T.O.

प्लॉट सं0 25ए, उद्योग केन्द्र–2, इकोटेक–3, ग्रेटर नोएडा।

उक्त स्थल पर मेसर्स कॉस्मेटिक लेन प्रा0लि0 नामक उद्योग संचालित पाया गया, जिसके द्वारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स (ऑर्गेनिक शॉप, ऑर्गेनिक टायलेट क्लीनर) का उत्पादन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप कुमार (एकाउन्ट मैनेजर, मो0नं0 8651832758) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैं–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

06/09/2025
(रणजीत सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 पी0के0 पान प्रोडक्ट्स, यूनिट 02, भूमि नं0 304, ग्राम नघेटा बहार नगर, हरदोई की निरीक्षण आख्या।

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच32382/ओ0ए0–273/डब्लू0एम0डी0–45/2025 दिनांक 04.09.2025 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No.-273/2025 The Citizens Vs. Central Pollution Control Board & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 के अनुपालन में उपरोक्त सन्दर्भित इकाई स्थल का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.09.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही था। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त सन्दर्भित इकाई मै0 पी0के0 पान प्रोडक्ट्स, यूनिट 02, भूमि नं0 304, ग्राम नघेटा बहार नगर, हरदोइ पर स्थापित/संचालित रही है।
2. निरीक्षण के दौरान इकाई का मेन गेट जरजर अवस्था में ताला लगा हुआ पाया गया। इकाई में संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि कियान्वित नही पायी गयी। इकाई स्थल पर कोई प्लान्ट मशीनरी भी स्थापित नही पायी गयी। इकाई पूर्णतः बन्द पायी गयी।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार इकाई द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 07.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित किया गया था। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि **"हमारी फर्म P K Pan Product, पता– भूमि नं0 304, ग्राम नघेटा बहार जो कि पूर्णतः बन्द कर दी गयी है। तथा इसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य नही किया जा रहा है।"**
4. कार्यालय अभिलेखानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 22.10.2021 द्वारा उद्योग मै0 पी0के0 पान प्रोडक्ट्स, यूनिट 02, भूमि नं0 304, ग्राम नघेटा बहार नगर, हरदोई के विरूद्ध अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के प्राविधानों को उल्लंघन करते हुए उत्पाद में प्लास्टिक की पैकजिंग पायी जाने के दृष्टिगत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये गया है जो कि वर्तमान में प्रभावी है। इस सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच86656/सी–7/विविध–556/गुटखा/23 दिनांक 02.01.2023 द्वारा भी इकाई को यथावत बन्द रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्तानुसार उक्त सन्दर्भित इकाई स्थल पर वर्तमान में संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि कियान्वित/संचालित नही है एवं न ही इकाई स्थल पर कोई प्लान्ट मशीनरी स्थापित है। इकाई पूर्णतः बन्द है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

23/09/2025

महेन्द्र सिंह
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उन्नाव

23/09/2025
JE

क्षेत्रीय अधिकारी
23/09/25

E:\RO Unnao\CTO\General IR.docx

Scanned with OKEN Scanner

19

2302

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदन संख्या–H86656/सी–7/विविध–558/ई2201/23 दिनांक 02/01/23

सेवा में,

मैसर्स पी0के0 पान प्रोडक्ट्स,
यूनिट–02 भूमि नं0 304, ग्राम–नघेटा, बहार नगर,
हरदोई।

विषयः– अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 22.10.2021 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत आपकी इकाई को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में निर्देश।

महोदय,

यह कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित अधिसूचित किये है।

यह कि अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित की धारा–4(f) द्वारा गुटखा, तम्बाकू एवं पान मसाला की पैकेजिंग, भण्डारण एवं वितरण हेतु प्लास्टिक की पैकेजिंग का प्रयोग प्रतिबन्धित है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 22.10.2021 द्वारा आपके उद्योग मैसर्स पी0के0 पान प्रोडक्ट्स, यूनिट–02 भूमि नं0 304, ग्राम–नघेटा, बहार नगर, हरदोई के विरूद्ध अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए आपके उत्पाद में प्लास्टिक की पैकेजिंग पाये जाने के दृष्टिगत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 22.10.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्र द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 07.10.2022 को किया गया, जिसमें उद्योग बन्द पाया गया एवं प्लांट एवं मशीनरी स्थापित नही पाई गई।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुपालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उद्योग का संचालन यथावत् बन्द रखा जाये तथा संचालन से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत बोर्ड से सहमति प्राप्त की जाये।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

AE/IA 18/01/2023

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ 226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522–2720764
ई–मेल info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

D:\G C Arya\General Note Sheet\Letter.docx

Scanned with OKEN Scanner